

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड
(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

आम सूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, 64 तथा 86 के प्रावधानों सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ) विनियम 2015 के अनुपालन में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड (CSPTCL) द्वारा वर्ष 2021-22 के लिये टैरिफ याचिका क्रमांक 04/2021 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

इस याचिका में (i) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अंतिम टूअप; (ii) वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं पारेषण टैरिफ के निर्धारण का प्रस्ताव सम्मिलित है जिसका सारांश नीचे तालिका में दर्शाया गया है :-

क. वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतिम टू-अप का सार

क्र.	विवरण	राशि (करोड़ रुपये में)
1	टैरिफ आदेश दिनांक 30.04.2016 में अनुमोदित तथा टैरिफ आदेश दिनांक 28.02.2019 के अनुसार संशोधित वार्षिक राजस्व आवश्यकता	999.45
2	टू-अप याचिका में प्रस्तावित वार्षिक राजस्व आवश्यकता	967.26
3	अंकेक्षित लेखा के अनुसार राजस्व वसूली	816.84
4	वर्ष 2019-20 हेतु टैरिफ आदेश दिनांक 28.02.2019 के अनुसार कैरिंग कॉस्ट के साथ समायोजित आधिक्य / (घाटा)(1-3)	182.61
5	वर्ष 2019-20 हेतु अंकेक्षित लेखा के अनुसार आधिक्य / (घाटा)(2-3)	150.42
6	वर्ष 2019-20 हेतु अंतिम आधिक्य / (घाटा)---(4-5)	32.19
7	कैरिंग कॉस्ट (@ of 12.55%) के साथ अंतिम आधिक्य / (घाटा)	34.21

ख. वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रस्तावित वार्षिक राजस्व आवश्यकता का सार

क्र.	विवरण	राशि (करोड़ रुपये में)
1	कर्मचारी मद में व्यय	225.75
2	ए. एंड जी. खर्च	43.54
3	आर. एंड एम. खर्च	44.63
4	सेवानिवृत्ति लाभ	74.75
5	अंतरिम वेतन राहत	निरंक
6	घटाये- कर्मचारी, आर एंड एम और ए. एंड जी. खर्च का पूंजीकरण	निरंक
7	अवमूल्यन	251.89
8	ब्याज एवं वित्त प्रभार	178.41
9	कार्यकारी पूंजी का ब्याज	14.15
10	पूर्व अवधि का (आय) / खर्च	निरंक
11	अंश पूंजी का प्रतिलाभ	219.04
12	लाभ / (हानि) (ओ. एंड एम. के खर्चों में बचत के कारण)	निरंक
13	जोड़े - इन्सेन्टिव ट्रान्समिशन उपलब्धता के कारण	निरंक
14	वर्तमान आय पर देय आयकर	निरंक
15	कुल	1,052.17
16	घटाइए- अन्य आय	22.35
17	सकल राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर.)	1,029.82

ग. वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रस्तावित वार्षिक राजस्व आवश्यकता का सार

क्र.	विवरण	राशि (करोड़ रुपये में)
1	वर्ष 2021-22 हेतु प्रस्तावित वार्षिक राजस्व आवश्यकता	1,029.82
2	वर्ष 2020-21 हेतु कैरिंग कॉस्ट के साथ अंतिम आधिक्य / (घाटा)	40.01
3	वर्ष 2020-21 हेतु समायोजित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (1-2)	989.81

याचिका अनुसार वर्ष 2019-20 के लिये राजस्व आधिक्य / (हानि) रुपये 32.19 करोड़ एवं रुपये वर्ष 2020-21 हेतु कैरिंग कॉस्ट के साथ 40.01 करोड़ अनुमानित है।

सी.एस.पी.टी.सी.एल. द्वारा प्रस्तुत याचिका की अंग्रेजी एवं हिन्दी में सार संक्षेपिका, की प्रतियां (i) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय एवं (ii) कार्यालय मुख्य अभियंता (वाणिज्य एवं नियामक मामले), सी.एस.पी.टी.सी.एल. डंगनिया, रायपुर में उपलब्ध हैं जिन्हें रुपये 100/- अंग्रेजी प्रति तथा रुपये 50/- हिन्दी प्रति के भुगतान के साथ किसी भी कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। याचिका की प्रति उक्त भुगतान के साथ-साथ डाक व्यय के रूप में अतिरिक्त रुपये 50/- के भुगतान से भी प्राप्त कर सकते हैं।

यह आम सूचना, याचिका की प्रति (i) आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in एवं (ii) सी.एस.पी.टी.सी.एल. की वेबसाइट www.cspc.co.in पर भी उपलब्ध रहेगी।

याचिकाकर्ता की उपरोक्त याचिका पर इच्छुक व्यक्ति अपने सुझाव/आपत्ति/दृष्टिकोण निम्नलिखित पते पर इस आम सूचना के प्रकाशित होने की तिथि से 21 दिनों की समयसीमा के भीतर व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा भेज सकते हैं।

(i) सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर, पिन-492001, फ़ैक्स-0771-4073553 एवं/या

(ii) मुख्य अभियंता (वाणिज्य एवं नियामक मामले), सी.एस.पी.टी.सी.एल., डंगनिया, रायपुर पिन-492013, फ़ैक्स-0771-2574698

सुझाव/आपत्ति/दृष्टिकोण की अग्रिम प्रति ई-मेल द्वारा निम्नलिखित ई-मेल आई डी पर भी भेजा जा सकता है।

(i) cserc.sec.cg@nic.in

(ii) cecnra.csptcl@cspc.co.in

मुख्य अभियंता (वाणिज्य एवं नियामक मामले)
CSPTCL, डंगनिया, रायपुर

Chhattisgarh State Power Transmission Company Ltd., Raipur
(A Govt. of Chhattisgarh Undertaking)

NOTICE

In compliance to the provisions contained in section 62, 64 & 86 of Electricity Act, 2003 read together with CSERC (Multi Year Tariff) Regulations 2015, Chhattisgarh State Power Transmission Company Ltd. (CSPTCL) has filed transmission tariff petition no. 04/2021 for FY 2021-22 before the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission which comprises: (a) final true-up for FY 2019-20 (b) ARR and transmission tariff for FY 2021-22, which is summarised in the tables given below :-

A. Summary of final true up of FY 2019-20

S.No.	Particulars	Amount (in Rs. Cr.)
1	ARR approved in MYT order dated 30.04.2016 & revised vide T.O. dated 28.02.2019	999.45
2	ARR based on audited accounts	967.26
3	Revenue as per audited accounts	816.84
4	Surplus adjusted with carrying cost up to FY 2019-20 as approved in tariff order dated 28.02.2019 (1-3)	182.61
5	Surplus for FY 2019-20 as per audited account (2-3)	150.42
6	Stand alone Surplus /(Deficit) (4-3)	32.19
7	closing Surplus / (deficit) with carrying cost @ of 12.55% for FY 2019-20	34.21

B. Summary of Aggregate Revenue Requirement (ARR) for FY 2021-22

S.No.	Particulars	Amount (in Rs. Cr.)
1	Employee Expenses	225.75
2	A&G Expenses	43.54
3	R&M Expenses	44.63
4	Terminal Benefits	74.75
5	Provision for Interim Wage Relief	NIL
6	Less: Capitalization of Employee, R&M and A&G Expenses	NIL
7	Depreciation	251.89
8	Interest on Loan	178.41
9	Interest on Working capital	14.15
10	Prior Period (Income) / Expenses	NIL
11	Return on Equity	219.04
12	Gain/(Loss) on sharing O&M efficiency	NIL

13	Incentive on Transmission Availability	NIL
14	Current Tax	NIL
15	Total	1,052.17
16	Less: Non-Tariff Income	22.35
17	Aggregate Revenue Requirement (ARR)	1,029.82

C. Summary of proposed ARR for FY 2021-22

S.No.	Particular	Amount (in Rs. Cr.)
1.	ARR proposed for FY 2021-22	1,029.82
2.	Adjustment of Surplus of FY 2019-20 after treatment of carrying cost up to FY 2021-22	40.01
3.	Adjusted ARR for FY 2021-22 (1-2)	989.81

As per the petition surplus/ (deficit) of CSPTCL for the FY 2019-20 are estimated at Rs. 32.19 Cr. and Adjustment of Surplus of FY 2019-20 after treatment of carrying cost up to FY 2021-22 is Rs. 40.01 Cr.

Copies of the tariff petition of CSPTCL in English and its summary in Hindi is available at following offices during office hours:

- i) Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission
- ii) Chief Engineer (C&RA), CSPTCL, Dangania, Raipur

Interested persons can purchase tariff petition on any working day after making payment of Rs. 100/- for English and its summary in Hindi Rs. 50/-. Copy of the petition/gist may be obtained by post on additional payment of Rs. 50/- towards postage fee.

The notice and petition is also be available on the following

- (i) Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission website www.cserc.gov.in
- (ii) CSPTCL website www.cspc.co.in

Persons intending to file/submit, objections/suggestions and views relating to this petition may file the same within 21 days from the publication of this Notice either in person or by post to:

- (i) Secretary, CSERC, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur Pin – 492001 Fax – 0771-4073553 and/or
- (ii) Chief Engineer (C&RA), CSPTCL, Raipur, Pin – 492013 Fax - 0771-2574698

Advance copies of objection/suggestion/views can also be mailed at following e-mail address:

- (i) cserc.sec.cg@nic.in
- (ii) cecra.csptcl@cspc.co.in

**Chief Engineer (C&RA)
CSPTCL: Raipur**